

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 फरवरी 2019—फाल्गुन 4, शक 1940

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2019

अधिसू. क्र. 02-एफ-1-04-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 345 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, अधिनियम की धारा 5-क(1) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 426-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 405(1) के संबंध में कतिपय क्षेत्रों को सम्मलित या अपवर्जित करने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर्स को, एतद्वारा, अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.